बुधवा उराँव
बनाम
मनोज साहु

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार– SAR Appeal 34 R 15/16-17

Ac TR No. 20/18-19

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

11/2/23

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता मनोज साहु द्वारा न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर रांची का एस0ए0आर0 वाद संख्या–41/2014–15 में दिनांक–17.08.2016 पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
कठचार्चो	89	31	950	10 डी0

भू–वापसी वाद की कार्यवाही बुधुवा उरांव पिता स्व० एतवा उरांव निवासी ग्राम–कठचार्चो, थाना–माण्डर जिला–राँची के आवेदन पत्र के आधार पर निम्नांकित भूमि की वापसी हेतु विपक्षी, मनोज साहू पिता स्व० शिवचरण साहु निवासी ग्राम कठचार्चो, थाना–माण्डर, जिला–रांची के विरुद्ध झारखण्ड अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम–1969 छोटानागपुर टेनेन्सी (संशोधन) अधिनियम–1969 के अधीन प्रारम्भ की गई।

उभय पक्ष इस न्यायालय में उपस्थित है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन–पत्र के साथ शपथ–पत्र समर्पित किया गया है। इस बाद में अंचलाधिकारी माण्डर के पत्रांक–465, दिनांक 08.07.2015 से जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदनानुसार वादग्रस्त भूमि खतियान में पोटेया उरांव

बल्द सुमेर उरांव वगैरह के नाम से दर्ज है। पंजी में मंगरा उरांव वगैरह के नाम से प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी कायम है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता, मनोज साहु पिता स्व० शिवचरण साहु वर्ष 2005 से पक्का मकान बनाकर दखलकार है। आवेदित भूमि आदिवासी खाते की भूमि है तथा अंचल अधिकारी, माण्डर राँची द्वारा जमीन वापस करने की अनुशंसा की गई है।

अपीलकर्त्ता, मनोज साहु का कहना है कि निम्न न्यायालय में उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता का पक्ष का नहीं सुना गया है। अतः न्यायहित में यह वाद निम्न न्यायालय में प्रेति-प्रेषित किया जाता है। निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों को नोटिस कर विधिवत सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

11/2/23
अपर समाहर्त्ता
राँची।

11/2/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:29:37 +05:30
Location: 192.168.2.175